रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)-78

REGISTERED NO. D-(D)--78

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
25

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 24, 1978 (आषाढ़ 3, 1900)

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 24, 1978 (ASADHA 3, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	595
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	829
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	7
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	597
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयकों और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (I)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . .	1249
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (II)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	1476
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	135
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च मंत्रालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	3471
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	469
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	93
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . .	1239
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस .	107

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	595
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	829
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence	7
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	597
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories ..	1249
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1476
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	135
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	3471
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	469
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	93
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1239
PART IV—Advertisements and Notices by Private individuals and Private Bodies	107

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जून 1978

आदेश

सं० 27/26/78-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उप-धारा (1) के खंड (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, बम्बई के कार्यालय के सहायक निरीक्षण अधिकारी श्री एम० एल० गनबीर को कथित धारा 209क के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत करती है।

सं० 27/26/78-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उप-धारा (1) के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा, प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, कलकत्ता के कार्यालय के सहायक निरीक्षण अधिकारी श्री एस० करमाकर को कथित धारा 209क के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत करती है।

एस० एस० मिश्र, अवर सचिव

पेट्रोलियम मंत्रालय

पेट्रोलियम विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 1978

आदेश

विषय: डीप काटीनेन्टल शैल्फ विस्तार क 190.44 वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० 12012/9/77—प्रोडक्शन—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जिसको इसके बाद आयोग कहा जायेगा) डीप कांटीनेंटल शैल्फ (अपतटीय) ————विस्तार के 190 44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 18-4 77 से एक वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची 'क' में दिए गए है।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए, पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केंद्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेंगी।

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेसेट पर 42/- रु० प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दरे केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम विभाग, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी।

(घ) —आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेसेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची 'ख' में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 11 की आवश्यकता के अनुसार—6000/- रुपए की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में जमा करेगा।

(च) —आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणक प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिस का लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 4 रुपए।
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 20 रुपए।
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 100 रुपए।
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 200 रुपए।
5. लाइसेंस के नवीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 300 रुपए।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को 2 माह के नोटिस देने के बाद होगी।

(ज) आयोग केंद्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाए गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप में देगा। तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केंद्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियमन और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

अनुसूची—'क'

इस पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गत डीप काटीनेंटल शैल्फ विस्तार अपतटीय क्षेत्र आता है जो अक्षाश 18.26′ 57 6″ दक्षिण से 18 43′ 54 6″ उत्तर और देशातर 70 05′ 37 8″ पश्चिम से 71 06′ 13 8″ पूर्व देशातर के बीच स्थित है और मानचित्र मे किनारे के प्वाइंटो अर्थात ए बी और ई को मिलाते हुए चिह्नित किया गया है तथा इसका क्षेत्रफल 190 44 वर्ग किलोमीटर है।

2. जहा पर यह क्षेत्र स्थित है उनके प्वाइंट जिन अक्षाश और देशातरो पर पड़ते है तथा उनके बीच की दूरी निम्नलिखित है।

		दूरी कि० मी० मे
प्वाइंट ए	अक्षाश 18 43′ 54 6″ देशातर 70 05′ 37 8″	प्वाइट ए से बी तक 40 63 कि० मी०
प्वाइंट बी	अक्षाश 18 26′ 57 0″ देशातर 71 06′ 13 8″	प्वाइट बी से ई तक 26 25 कि० मी०
प्वाइंट ई	अक्षाश 18 33′ 58 8″ देशातर 70 53′ 15 00″	प्वाइट ई से ए तक 18 56 कि० मी०

3 भूमि के चार प्रमुख स्थानो से सबसे दूर प्वाइट की लगभग दूरी निम्नलिखित है—

1 बम्बई से—51 कि० मी०

2 तारापुर से—58 कि० मी०

3 दमन से—72 कि० मी०

4 दियू—6 कि० मी०

अनुसूची-ख

अशोधित तेल कैसिग—हेडसेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण।

डीप काटीनेटल शैल्फ विस्तार (अपतटीय) क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस।

क्षेत्रफल 190 44 वर्ग किलोमीटर

माह तथा वर्ष

क अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरो की सख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लिटरो की सख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये लिटरो की सख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लिटरो की सख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख केसिग हेड कडेसेट

प्राप्त किये गये कुल किलो लिटरो की सख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लिटरो की सख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये किलो लिटरो की सख्या	कालम 2 और 3 घटाकर प्राप्त किलो लिटरो की सख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरो की सख्या।	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरो की सख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरो की सख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरो की सख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मै, श्री——————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एव पुष्टि करता हू कि इस विवरण मे दी गई सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है उसे सही समझते हुए मै शुद्ध अन्त करण से सत्यनिष्ठ से यह घोषणा करता हू।

हस्ताक्षर——————

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम से

एस० एम० आई नदीम, अवर सचिव

कृषि और सिचाई मत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनाक 24 मई 1978

सकल्प

विषय —वानिकी अनुसधान और शिक्षा परिषद् की स्थापना

स० 12-4/75-एफ० आर० ई०-I—वर्तमान प्रणालिक तत्र के अन्तर्गत वन अनुसधान तथा शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा केंद्रीय तथा राज्यो की वन अनुसधान व शिक्षा सस्थाओ और विश्वविद्यालयो के बीच अपेक्षित समन्वय लाने की दृष्टि से भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि आयोग की वन अनुसधान तथा शिक्षा सबधी, अन्तरिम रिपोर्ट (मार्च, 1971) तथा अन्तिम रिपोर्ट (1976) की सिफारिशो के आधार पर वन अनुसधान तथा शिक्षा परिषद् का गठन करने की आवश्यकता के विषय मे विचार करती रही है । वन अनुसधान तथा शिक्षा का कार्यक्रम दीर्घकालीन आवश्यकताओ के व्यापक विश्लेषण तथा विस्तृत आयोजना पर आधारित होना चाहिए । अत समस्याओ सूत्रो के अभिज्ञात व अनुसधान और शिक्षा कार्यक्रम के कारगर समन्वय और तकनीकी जनशक्ति की आवश्कता का मूल्याकन करने के लिए एक सक्षम मशीनरी की आवश्यकता है । केंद्रीय सरकार को बडी जिम्मेदारी को ध्यान मे रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि आयोग की इन सिफारिशो को मजूर कर लिया है कि ऐसी परिषद् को केंद्रीय समन्वयक ऐजेंसी के तौर पर स्थापित किया जाए । परिषद् वन अनुसधान सस्थान, देहरादून के अनुसधान स्टाफ को समन्वय सबधी कार्यकलापो के बोझ से मुक्त कर सकेगी कि वह स्टाफ अनुसधान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमो को शुरू करने तथा उनका मार्ग दर्शन करने की ओर अधिक ध्यान दे सके ।

वन अनुसधान तथा शिक्षा परिषद्, कृषि विभाग के वानिकी प्रभाग तथा राज्य वन विभागो के सहयोग से विश्वविद्यालयो को वन अनुसधान तथा शिक्षा के सबध मे उनकी क्षमता काज विकास करने मे सहायक सिद्ध हो सकेगा । परिषद् की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह होगी कि वह ऐसे अनुसधान को प्रारम्भ करे जिनका बडे पैमान पर परीक्षण करने से पूर्व बहुस्थानीय (मल्टी लोकेशनल एक्सपेरीमेंटेशन) की आवश्यकता है । उसकी जिम्मेदारी यह भी है कि ऐसे समन्वित अनुसधान कार्यक्रमो को शुरू करे जिनके विषय मे एक से अधिक क्षेत्रो मे बहु-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ताकि एक ही कार्य को बार-बार न करना पडे तथा सरकार के सीमित साधनो का उपयुक्त ढग से उपयोग किया जा सके । कृषि शिक्षा तथा अनुसधान को शुरू करने, उसे प्रोत्साहित तथा समन्वित करने तथा व्यवहार मे लाने से सबधित स्वायत्तता का विकास हुआ है और इस से उस क्षेत्र मे समय समय पर काफी परिवर्तन हुआ है । इस समय वानिकी के क्षेत्र मे अनुसधान तथा प्रशासन मे तालमेल का अभाव है जिसके कारण वन अनुसधान क्षेत्र कार्य से दूर होता जा रहा है । यद्यपि वन अनुसधान तथा शिक्षा परिषद् को पूर्ण स्वायत्तता देना अभी सभव नही है तथापि इसे यथा शीघ्र उचित स्वायत्तता दी जानी चाहिए ।

निम्नलिखित रूप से तदनुसार वन अनुसधान शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है —

1	केंद्रीय कृषि और सिचाई मत्री	अध्यक्ष
2	सचिव (कृषि व ग्राम विकास)—	उपाध्यक्ष
3	वन महानिरीक्षक एव पदेन अपर सचिव, भारत सरकार	सदस्य
4	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसधान परिषद् ।	सदस्य
5	महानिदेशक, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसधान परिषद् ।	सदस्य
6	महानिदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग मत्रालय ।	सदस्य
7	अध्यक्ष, वन अनुसधान एव महाविद्यालय, देहरादून ।	सदस्य
8.	सयुक्त सचिव (वन व वन्य प्राणि), कृषि विभाग	सदस्य
9	विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
10-13	चार मुख्य वन सरक्षक - 2 वर्ष के लिए प्रत्येक अचल से बारी बारी एक एक	सदस्य
14-15	3 वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालयो से दो अनुसधान वैज्ञानिक/अध्यापक	सदस्य
16-17	2 वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय वन अनुसधान सगठनो से वा अनुसधानकर्त्ता/अध्यापक (बारी बारी)	सदस्य
18	कृषि विभाग के वित्तीय सलाहकार	सदस्य
19	अतिरिक्त वन महानिरीक्षक (कृषि विभाग मे वन अनुसधान व शिक्षा से सबधित)	सदस्य सचिव

कार्य कलाप

परिषद् के निम्नलिखित कार्यकलाप होगे —

1 भारत मे वन अनुसधान और शिक्षा के विषय मे मुख्य नीतियो का समन्वय निर्धारण व प्रोत्साहन ।

2 वानिकी के विषय मे अखिल भारतीय समन्वित कार्यक्रमो, और किसी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमीनार या कार्यशाला की प्रायोजना करना ।

3 केन्द्रीय अनुसधान सस्थाओ/केन्द्रो और विश्वविद्यालयो मे वन अनुसधान और विकास का मूल्याकन एव, इस उद्देश्य के लिए, अनुसधान उपलब्धि की परीक्षा करने के लिए समितियो की नियुक्ति करना ।

4 किसी विशेष विषय के बारे मे वन अनुसधान स्कीम परियोजनाओ के सूत्रपात, जाच, समीक्षा और समुन्नयन हेतु किसी पैनल या उपसमिति का गठन करना तथा उस सबध मे परिषद् को सलाह या सहायता प्रदान करना ।

5 विश्वविद्यालयो मे वानिकी पाठ्यक्रमो के लिए सिलेबस की तैयारी, स्वीकृति और उनकी आवधिक समीक्षा के लिए पैनलो और कार्यकारी दलो की स्थापना करना ।

6 केंद्रीय अनुसधान व अध्यापन सस्थानो मे विभिन्न स्तरो पर वानिकी कार्मिको के सेवारत प्रशिक्षण और शिक्षा के सबध मे मद सख्या 1 के समान कार्यवाही करने के लिए पैनलो की स्थापना करना ।

7 वन प्रबध, अनुसधान और शिक्षा मे लगे कार्मिको की सूची तैयार करने तथा उपयुक्त प्रशिक्षण व नियुक्ति की व्यवस्था हेतु वानिकी प्रबध, अनुसधान शिक्षा और उपयोगो मे व्यावसायिक स्तरो पर आवश्यक विशेषज्ञता की प्रत्येक श्रेणी के लिए अतिरिक्त तकनीकी श्रम शक्ति का निर्धारण करना ।

8 वन अनुसधान और शिक्षा से सबधित कोई अन्य मामले जिनका परिषद् के अन्य कार्यों से सबध हो ।

कार्य सचालन नियम

परिषद् का कार्य सचालन निम्नलिखित नियमो के अनुसार होगा —

1 परिषद् की बैठक वर्ष मे एक बार अवश्य होगी ।

2 परिषद् के सदस्यो के विचार जानने के लिए आवश्यक मामले उन्हे परिचालित किये जा सकते है ।

3 परिषद् जिस पैनल, उप समिति या कार्यकारी दल की नियुक्ति करे, उस के लिए कार्य सचालन नियम निर्धारित कर सकती है ।

4 सदस्य सचिव परिषद् की प्रत्येक बैठक के लिए दिन, समय व स्थान निश्चित करेगा और कम से कम 4 सप्ताह पहले कार्यसूची का परिचालित करेगा ।

आदेश :

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार के समस्त मन्त्रालयो और विभागो, समस्त राज्य सरकारो और सघ शासित क्षेत्रो, योजना आयोग, मन्त्रिमडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मत्री कार्यालय, भारत के नियत्रक और महा लेखा परीक्षक को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी के लिए इस सकल्प को भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए ।

एन० डी० जयाल सयुक्त सचिव,

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 1978

संकल्प

सं० 202/28/76-एफ(पी)—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 202/28/76-एफ(पी), दिनांक 31 अक्तूबर, 1977 के पैरा 6 का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि वृत्तचित्र क्रय समिति की सिफारिशों पर या सरकार के आदेश पर फिल्म प्रभाग द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सभी वृत्तचित्रों का क्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए फिल्म प्रभाग के लिए एक मूल्य निर्धारण समिति होगा। मूल्य निर्धारण समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. मुख्य प्रोडयूसर, फिल्म प्रभाग
2. उप सचिव (वित्त), सूचना और प्रसारण मंत्रालय
3. आंतरिक वित्त सलाहकर, फिल्म प्रभाग

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम० सुन्दरराजन, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 1st June 1978

No. 27/26/78-CL.II.—In pursuance of clause (ii) of sub-section (1) of section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorises Shri M. L. Ganvir, Assistant Inspecting officer in the office of the Regional Director, Company Law Board Bombay, for the purpose of the said section 209A.

No. 27/26/78-CL.II.—In pursuance of clause (11) of sub-section (i) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises Shri S. Karmakar Assistant Inspecting Officer in the office of the Regional Director Company Law Board, Calcutta, for the purpose of the said section 209A.

S. S. MISRA,
Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 29th May 1978

ORDER

SUBJECT.—*Grant of Petroleum Exploration Licence for Deep Continential Shelf Extension area measuring 190.44 sq. kms.*

No. 12012/9/77-Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehra Dun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum, Exploration Licence to prospect for Petroleum for one Year from 18-4-77 in Deep continentail Shelf Extension (offshore) area measuring 190.44 sq. kms., the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged;

(i) Rs. 42/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of Natural Gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

(iii) The royalty shall be paid to the pay & Accounts Officer Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full and proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules.

(f) The Commission shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each sq. kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4 for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20 for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100 for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200 for the fourth year of the licence; and

(v) Rs. 300 for the first and second years of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two months' notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Governmer [illegible] fidentially a full report of the geological data [illegible] the minerals found during the exploration [illegible] natural gas and shall submit without [illegible] months the results of all operations [illegible] oration to the Central Government.

(i) The Commission shal' [illegible] measures against the hazard of [illegible] and/or on the surface and shall k [illegible] t, supplies and means to extinguish the [illegible] all times and shall pay such compensation [illegible] party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil filds (Regulations and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

SCHEDULE 'A'

The area covered by this Petroleum Exploration Licence falls in Deep Continental Shelf Extension off-shore area and lies between Latitudes 18° 26′ 57·6″ South to 18° 43′54·6″ North and Longitudes 70° 05′ 37·8″ West to 71° 06′13·8″ East and is delinated on the map by the line joining the corner points A, B and E and measures 190·44 sq. kms. in area.

2. The latitudes and longitudes on which the points covering the area fall and the distances in between them are as follows:—

	Bearing	Distance in Km.
Point 'A'	Lat. 18° 43 °54·6″ Long. 70° 05′ 37·8″	Point A to B—40·63 Km.
Point 'B'	Lat. 18° 26′57·6″ Long 71° 06′13·8″	Point B to E=26·25 Km.
Point 'E'	Lat. 18° 33′58·8° Long. 70° 53′15·00″	Point E to A=18·56 Km.

3. Approximate distance of farthest point from four prominant places on land is as follows :

1. From Bombay =51 Km.
2. From Tarapur =58 Km.
3. From Daman =72 Km.
4. From Diu =60 Km.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for Deep Continential Shelf Ext.

Area measuring 190·44 sg. Kms.

Month and Year

A—*Crude Oil*

Total No. of Kilolitres obtained	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Kilolitres used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Kilolitres obtained less columns 2 and 3	REMARKS
1	2	3	4	5

B—*Casing head condensate*

Total number of Kilolitres obtained	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Kilolitres used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Kilolitres obtained less columns 2 & 3	REMARKS
1	2	3	4	5

C—*Natural Gas*

Total number of cubic metres	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of Cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	REMARKS
	2	3	4	5

I, ... do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

.....

(Signature)

By order and in the name of the President of India.

S. M. Y. NADEEM
Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 29th May 1978

RESOLUTION

SUBJECT.—*Council for Forestry Research & Education*—Setting up of.

No. 12-4/75-FRY-I.—With a view to promoting forest research and education within the existing administrative structure and achieving the desired degree of coordination between Central and State Forest research institutions and and universities, the Government of India have had under consideration the need of constituting a Council of Forest Research and Education (CFRE) in the light of the recommendations made by the Natioanl Commission on Agriculture (NCA) in its Interim Report on Forest Research and Education (March 1974) and re-iterated by/the NCA in its Final Report (1976). As forest research and education programme should be based upon a comprehensive analysis of long-term needs and consequently on long-range planning, an efficient machinery is required for identification of problems, formulations and effective coordination of research and education programme and an assessment of technical manpower requirement. In view of the major responsibility devolving on the Union Government, the Government of India has accepted the recommendations of the NCA that such a council may be set up as a central coordinating agency. The Council will be able to free the research staff of the Forest Research Institute, Dehra Dun from the burden of coordinating activities, so that such staff can devote more time on initiating and guiding research and training programme.

The C.F.R.E., with the support of the Department of Agriculture (Forestry Division) and the State Forest Departments would be able to help the universities to develop their potential for forest research and education. One of the important responsibilities of the Council will be to sponsor researches requiring multi-locational experimentation prior to large scale trials, coordinated programmes research requiring multi-disciplinary approach at more than one centre etc., so that duplication of efforts may be avoided and the limited resources of the Government put to the optimum use, autonomy in undertaking, aiding, promoting and coordinating agricultural education, research and its application in practice has evolved following a good deal of changes in stages in that sector. In forestry, at this stage a complete divorce of research and administration may take forest research further away from the field. Though full autonomy to the C.F.R.E. may not yet be feasible, it should be given suitable autonomy as early as possible.

The Council of Forest Research Education has accordingly been constituted as under :—

Chairman

1. Union Minister for Agriculture & Irrigation.

Vice-Chairman

2. Secretary (Agriculture & Rural Development).

Member

3. Inspector General of Forests and *ex-officio* Additional Secretary to the Government of India.

4. Director General of the Indian Council of Agricultural Research.

5. Director General of Council of Scientific and Industrial Research.

6. Director General of Technical Development, Ministry of Industry.

7. President, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun.

8. Joint Secretary (Forests & Wildlife) Department of Agriculture.

9. A representative of the Department of Science Technology.

10-13. Four Chief Conservators of Forests, one from each region by rotation for 2 years.

14-15. Two research scientists/teachers from universities for a term of 3 years.

16-17. Two researches/teachers from Central forest research organisations for a term of 2 years (by rotation).

18. Financial Adviser to the Department of Agriculture.

Member Secretary

19. Additional Inspector General of Forests (dealing with forest research and education in the Department of Agriculture).

Functions :—

The functions of the Council will be as follows :—

1. To coordinate, promote and lay down broad policies of forest research and education in India.

2. To sponsor All-India coordinated research programmes in forestry, and any regional or national conference, seminar or workshop.

3. To evoluate forest research and development in the central research institutions/centres and the universities and, for this purpose, to appoint committees for undertaking research achievement audit.

4. To constitute any panel or sub-committee to initiate, examine, review and coordinate forest research schemes projects in any particular discipline, and to assist and advise the Council in that regard.

5. To set up panels or working groups for devising and approving syllabi for forestry courses in the universities and for reviewing them periodically.

6. To set up panels for similar action as in item No. 4 in respect of in-service training and education of forestry personnel at different levels in the central research-cum-teaching institutions.

7. To have an assessment made of technical manpower, including each category of specialisation, needed at professional levels in forestry management, research, education and industries, to prepare inventory of personnel engaged in forest management, research and education and to arrange for suitable training and placement.

8. Any other matters affecting forest research and education which are relevant to any other functions of the Council.

Rules of Business :—

The business of the Council will be governed by the following rules :—

1. The Council shall meet at least once in a year.

2. Matters of urgency may be circulated to the members of the Council to elicit opinion.

3. The Council may lay down the rules of business for any panel, sub-committee or working group, etc, that may be set up by the Council.

4. The Member-Secretary will fix the date, time and place for every meeting of the Council and will circulate the agenda at least 4 weeks in advance.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Govt. of India and all the State Governments and Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat and Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. D. JAYAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 30th May 1978

RESOLUTION

No. 202/28/76-F(P).—In supersession of para 6 of this Ministry's Resolution No. 202/28/76-F(P) dated the 31st October 1977, the President is pleased to decide that there shall be a Pricing Committee for Films Division to determine the purchase price for all documentaries to be acquired by the Films Division whether on the recommendations of the Documentay Film Purchase Committee or ordered by Govt. to be acquired. The members of the Pricing Committee will be as under:—

1. Chief Producer, Films Division.
2. Deputy Secretary (Finance), Ministry of Information and Broadcasting.
3. Internal Financial Adviser, Films Division.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Government and Union Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. SUNDARARAJAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978